

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:-183/2015/अपील

कै.स.स. भगवती गैस सर्विस, (बी.पी.सी.एल.) जरिये प्रबंधक रामकिशन पुत्र श्री
रमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रेणु तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, सीकर

(2) पत्रावली संख्या:-182/2015/अपील

कै.स.स. विक्रम गैस सर्विस सिल्वर जुबली रोड सीकर जरिये प्रबंधक दशरथ सिंह पुत्र श्री
कल्याण सिंह जाति शेखावत (राजपूत) पता विक्रम गैस सर्विस सिल्वर जुबली रोड, सीकर

रेस्पोजेन्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, सीकर

रेस्पोजेन्ट



अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी सीकर क्रमांक
रसद/लाईसेन्स/2015/1146 दिनांक 17.11.2015 अन्तर्गत
धारा 20 राजस्थान पेट्रोलियम (प्रोडक्ट कन्ट्रोल एण्ड
लाईसेन्स) ऑर्डर 1990

वकील अपीलान्ट श्री राधेश्याम बिंयाला

निर्णय

दिनांक:-04.02.2020

उपरोक्त दोनों प्रकरण एक समान होने से एक ही निर्णय से निर्णित किये जा रहे हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/2015/1146 दिनांक 17.11.2015 के विरुद्ध निम्न प्रकार प्रस्तुत है। उपरोक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व रेस्पोजेन्ट द्वारा अपीलान्ट की सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। जिस कारण प्रार्थी प्रकरण से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका और बाला-बाला लाईसेन्स निलम्बित कर दिया गया। वर्तमान में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सिलेण्डर वितरण व्यवस्था के अव्यवस्थित होने से आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रकरण की परिस्थितियों में रेस्पोजेन्ट द्वारा लाईसेन्स के निलम्बित ही कर देने जैसा कठोर कदम उठाना ना तो सार्वजनिक हित में था, और ना ही गैस वितरण की सूचारु व्यवस्था के हित में था। अपीलान्ट द्वारा रिको से भी जमीन प्राप्त करने के सम्बन्ध में काफी प्रयास किये गये, परन्तु रिको के पत्र दिनांक 10.04.2015 के द्वारा वर्तमान में कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में अपीलान्ट को सूचित कर दिया एवं सूचनार्थ एक प्रति श्रीमान को भी प्रेषित की गई। फिर भी अपीलान्ट की ओर से ईमानदारी के साथ एवं पूर्ण साद्भाविक रूप से भूमि प्राप्त हेतु निरन्तर प्रयत्न किये जाते रहे और इस सम्बन्ध में ग्राम शिवराणा का बारा पटवार हल्का नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में खसरा नम्बर 154/2

प्रमाणित फोटो / प्रतिलिपि

रीडर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

3500 हेक्टयर में से अपीलान्ट द्वारा गैस सप्लायर जो कि वीरवल सिंह दत्तक पुत्र विक्रम जाति बलाई निवासी ग्राम शिवराणा का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर 14 हिस्सों में अन्य सहखातेदारों ने गैस गोदाम बनवाने हेतु सहमति प्रदान कर चुके इसी प्रकार इसी क्रम में ग्राग पंचायत नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ से नियमों के अन्तर्गत एल.पी.जी गोडावन हेतु एनओसी भी दिनांक 20.08.2015 को प्राप्त की जा चुकी है। इसी क्रम में आगे वीपीसीएल कम्पनी से प्राथमिक अनुमोदन लिया जा चुका है। अनुमोदन दिनांक 23.06.2015 को प्राप्त भी हो चुका है। आगे इसी क्रम में आर्किटेक्चर्स द्वारा डिजायन के अनुमोदन हेतु भी दे दी जा चुकी है। अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही कर लेने के पश्चात निर्माण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु रेस्पोजेन्ट को पत्र भी लिखा जा चुका था। इसके बावजूद भी रेस्पोजेन्ट ने सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी हतो हुए भी अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित करने में कानूनी शूल की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 को अपास्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा एवं अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 में अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 एवं लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के पत्र दिनांक 02.06.2015 की अनुपालना में जिला कलक्टर से विचार विमर्श कर अनुपालना में निर्देशित किया गया कि मैसर्स विक्रम गैस सर्विस सीकर एवं मैसर्स भगवती गैस एजेन्सी सीकर जो कि वीपीसीएल टोल कम्पनी के अधीनस्थ है, की गैस सप्लाय तत्काल प्रभाव से दिनांक 16.06.2015 से रोक दी जावे। तीन माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी वास्तविक स्थानान्तरण की कार्यवाही नहीं होने पर जन सुरक्षा के मध्येनजर आबादी क्षेत्र से गैस गोदामों को शिफ्ट करने की लगातार अवहेलना बरतने पर उक्त गैस वितरकों को जारी अनुज्ञा पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में मैसर्स विक्रम गैस सर्विस सीकर ने दिनांक 20.11.2015 द्वारा जिला रसद अधिकारी सीकर को प्रस्तुत आवेदन में ग्राम कहारों की ढाणी ग्राम पंचायत बाजौर के खसरा नम्बर 700 पर उक्त गैस गोदाम स्थानान्तरण करने हेतु पेश किया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर का निर्णय दिनांक 27.11.2015 D.B. civil Special Appeal (writ) No. 350/2015 in SB civil Writ Petition No. 9072/2014 M/S Vikram Gas Service V/S State of Rajasthan & Ors. द्वारा पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि In the case at hand, the chief controller of explosives, government of India is the licensing authority under the rules. and the collector has not placed the matter before the chief controller of explosive for decision whether the licence of appellant for storage of LPG cylinders should be either suspended, cancelled or not renewed. the order of the district collector as well as the order of district supply officer, Sikar unilaterally directing the appellant to shift the godown in question, therefore, cannot be held to be legal and valid. The orders are accordingly set aside. The district collector will however immediately place the matter of appellant beore the chief controller of explosives, government of India, who shall decide whether shifting of godown is necessary in the interest of public. Needless to mention that chief controller of explosives will follow the relevant provisions of the Act and the Rules while taking the decision.



प्रमाणित फोटो / प्रतिलिपि

[Handwritten Signature]
डीडर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में उपरोक्त निर्णय के सम्बंध में जिला कलक्टर (रसद) सीकर एवं जिला रसद अधिकारी के स्तर से निम्न कार्यवाही की जानी उचित रहेगी-

- (1) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2015 के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर जन सुरक्षा की दृष्टि से गैस गोदाम स्थानान्तरण आवश्यक/नियमानुसार योग्य पाया जावे तो प्रकरण वास्तो निर्णय Chief Controller of explosives, government of India को प्रेषित करें।
- (2) यदि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2015 के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील/निर्णय हुआ है, तो तदनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पत्रावली संख्या 182/2015 में भी रखी जावे। मुताबिक निर्णय पालना हेतु जिला कलक्टर (रसद) सीकर एवं जिला रसद अधिकारी को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अति. (रसद प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर

प्रमाणित फोटो / प्रतिलिपि

सीडर
अति. जिला कलक्टर, सीकर